

दिनांक- 09.04.2025 प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

बीट मुख्य आरक्षी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना लीलापुर के मुख्य आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
मुख्य आरक्षी अजय प्रजापति ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लीलापुर के मुख्य आरक्षी अजय प्रजापति को दिया
जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर के पास से गैंगस्टर इस्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर मारपीट, गोवध निवारण अधि0, धौखाधड़ी, आयुध अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे
संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत
किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी अजय प्रजापति के सहयोग से आज दिनांक 09.04.2025 को थाना लीलापुर पुलिस
द्वारा थाना लीलापुर के मु0अ0सं0 32/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगस्टर अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ में
01 वांछित अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र अब्बास निवासी नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद
प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लीलापुर के हण्डौर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- इस्तियाक अहमद पुत्र अब्बास निवासी नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

**अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र अब्बास निवासी नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ का
आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0 292/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व
119/190/191(2)/191(3)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना
लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 32/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा रंगदारी, मारपीट व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया
गया गिरफ्तार

अभियुक्तों को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत औरीपुर नौगीर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा पूर्व में मुकदमें से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-06.03.2025 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत घुइसरनाथ रोड पर मैरेज हॉल संचालित करने वाले वादी के पिता
के साथ आरोपीगणों द्वारा अपाचे मोटर साइकिल से आकर मारपीट, धमकी व रंगदारी लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के
आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0-43/2025 धारा-191(2), 190, 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस
बनाम 03 नामजद व 02 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर उ०नि० श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० इन्द्रेश कुमार मय हमराह का० विष्णु शर्मा, का० दिनेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-43/2025 धारा-191(2), 190, 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त विकास गिरि उर्फ बाबा पुत्र रामचन्द्र गिरि निवासी ग्राम देउम पश्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रांतर्गत औरीपुर नौगीर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास गिरि उर्फ बाबा पुत्र रामचन्द्र गिरि निवासी ग्राम देउम पश्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं०-15/16 धारा 352 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

2-मु०अ०सं०-53/17 धारा 392/411 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

3-मु०अ०सं०-182/17 धारा 41/41/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

4-मु०अ०सं०-183/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

5-मु०अ०सं०-48/18 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

6-मु०अ०सं०-09/2024 धारा 392/506/411 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

7-मु०अ०सं०-31/2024 धारा 394/411 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

8-मु०अ०सं०-322/2023 धारा 379 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

9-मु०अ०सं०-203/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

10-मु०अ०सं०-43/2025 धारा 191(2)/190/308(5)/ 115(2)/352/351(3) बीएनएस धारा सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० इन्द्रेश कुमार मय हमराह का० विष्णु शर्मा, का० दिनेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 रिवाल्वर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसूपुर औरीपुर नौगीर से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर 01 रिवाल्वर बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सांगीपुर थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० प्रशिक्षु विनय प्रताप सिंह मय हमराह का० संदीप कुमार, का० नरेश कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.04.2025 को 01 रिवाल्वर के साथ 01 अभियुक्त आशीष गिरि पुत्र स्व० संतोष गिरि निवासी ग्राम परसूपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसूपुर औरीपुर नौगीर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आशीष गिरि पुत्र स्व० संतोष गिरि उपरोक्त के निशादेही पर 01 रिवाल्वर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 64/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आशीष गिरि पुत्र स्व० संतोष गिरि निवासी ग्राम परशूपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 रिवाल्वर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० प्रशिक्षु विनय प्रताप सिंह मय हमराह का० संदीप कुमार, का० नरेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गोवध अधि० व पशु क्रूरता निवारण अधि० से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत बनरहिया बाग के पास से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ०नि० राजन कुमार बिन्द मय हमराह उ०नि० जावेद अहमद खाँ का० राजेन्द्र गर्ग, का० नन्दकिशोर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के मु.अ.सं. 227/21 धारा 147/148/149/307/120बी भादवि व धारा 3/5A / 8 उ०प्र० गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० से संबंधित 02 अभियुक्तों 1- मुलायम पुत्र कमाल निवासी सिंहौली थाना चाँदा सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़, 2- नन्हे पुत्र कमाल निवासी सिंहौली थाना चाँदा सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत बनरहिया बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मुलायम पुत्र कमाल निवासी सिंहौली थाना चाँदा सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- नन्हे पुत्र कमाल निवासी सिंहौली थाना चाँदा सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजन कुमार बिन्द मय हमराह उ०नि० जावेद अहमद खाँ, का० राजेन्द्र गर्ग, का० नन्दकिशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अन्धेरी बाग वहद ग्राम कोठीयाही के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर थानाध्यक्ष श्री शत्रुघ्न वर्मा के नेतृत्व में उ०नि० रमिल कुमार मय हमराह का० सुनील पटेल, का० जगदीश प्रसाद द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 07.04.2025 को 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ अण्डी पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम सिंगठी खालसा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत अन्धेरी बाग वहद ग्राम कोठीयाही के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ अण्डी पुत्र श्रीराम सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 55 / 25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- वीरेन्द्र सिंह उर्फ अण्डी पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम सिंगठी खालसा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० रमिल कुमार मय हमराह का० सुनील पटेल, का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर के उ०नि० मनोज जायसवाल मय हमराह का० निर्दोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान मु०नं० 515/20 धारा 128 सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त तौहीद अली पुत्र ईब्राहिम निवासी ग्राम गोपालपुर कुरेसियान थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

तौहीद अली पुत्र ईब्राहिम निवासी ग्राम गोपालपुर कुरेसियान थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० मनोज जायसवाल मय हमराह का० निर्दोष कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

➡ थाना दिलीपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, धमकी, मारपीट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना दिलीपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ चौराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी ग्राम रामपुर आधारगंज वादिनी के पति व पुत्र के साथ रास्ते में आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा से हमला कर घायल करने, गाली गलौज व धमकी देने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 04.04.2025 को थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस बनाम 04 नामजद व 03 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर थानाध्यक्ष श्री शत्रुघ्न वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह का० निर्दोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा०पत्र पेडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सद्दाम उर्फ आजाद पुत्र निजाम अली उर्फ कल्लन निवासी ग्राम करनपुर खूझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सद्दाम उर्फ आजाद पुत्र निजाम अली उर्फ कल्लन निवासी ग्राम करनपुर खूझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

अपराधिक इतिहास-

सद्दाम उर्फ आजाद पुत्र निजाम अली उर्फ कल्लन निवासी ग्राम करनपुर खूझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-64/06 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0-37/22 धारा 147/323/308/504/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0-51/25 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) भा0न्या0स 2023 थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह का० निर्दोष कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 ओमकार सिंह यादव मय हमराह का० लालजी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान एसटी नं0 383/214 धारा 302/34 भादवि व एसीएसटी एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामकरन वर्मा निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामकरन वर्मा निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ओमकार सिंह यादव मय हमराह का० लालजी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का० रिन्नेश, का0 राजेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान मु0अ0सं0 41/99 धारा 325/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त समरबहादुर पुत्र सूरजदीन निवासी खूंटाघाट ईसीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

समरबहादुर पुत्र सूरजदीन निवासी खूंटाघाट ईसीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का० रिन्नेश, का0 राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा सरकारी कोटे की दुकान से चावल की बोरी चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भुवालपुर किला में मजरा धनी का पूरवा मुर्गी फार्म से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 18 बोरी चावल किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदोही निवासी वादी की सरकारी कोटे की दुकान से गेहूँ व चावल की बोरी चोरी होने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 08.04.2025 को मु0अ0सं0 78/2025 धारा 331(4),305, बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 रामबचन यादव, का0 राहुल सिंह, का0 प्रवीण कुमार, का0 आशुतोष तिवारी, का0 चन्द्रकेश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2025 धारा 331(4),305, बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1. ललित पटेल पुत्र कुंदन लाल पटेल 2. राजनाथ पटेल पुत्र शिवप्रसाद पटेल नि0गण ग्राम भुवालपुर किला थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 18 बोरी चावल के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भुवालपुर किला में मजरा धनी का पूरवा मुर्गी फार्म से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ललित पटेल पुत्र कुंदन लाल पटेल निवासी ग्राम भुवालपुर किला थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
2. राजनाथ पटेल पुत्र शिवप्रसाद पटेल निवासी ग्राम भुवालपुर किला थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुए एक स्वर में बता रहे हैं कि हम लोगों ने लोगों ने मिलकर ग्राम भदोही में राशन की दुकान के गोदाम से चोरी की थी। चोरी किए गए चावल के बोरे में से हम लोगों के हिस्से के बंटवारे के बाद मिले चावल गेहूं को अपने घर मुर्गी फार्म पर लाकर मेरे साथी व मेरे द्वारा एक मजदूर के साथ किसानों से गेहूं चावल खरीदने वजन करने साथ में जाता था जिस काम का उस मजदूर को एक बोरे का 05 रुपये मजदूरी देता था। को चोरी के संबंध में बिना बताए वजन करा कर बोरे में सिलकर सुबह बेचने के लिए रखा गया है। हम सभी लोग अक्सर छोटी-मोटी चोरियां करते हैं और अपने घर की जरूरतें एवं शौक इत्यादि को पूरा करते हैं।

बरामदगी-

चोरी की 18 बोरी चावल बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 रामबचन यादव, का0 राहुल सिंह, का0 प्रवीण कुमार, का0 आशुतोष तिवारी, का0 चन्द्रकेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।